12.12.17

पत्रावली पेश हुई। अभि. रेस्पोडेंट व रेस्पोडेंट उप. / अपीलांट को आवाज दिलाई गई। अभि. अपीलांट व अपीलांट वापस रखना चाहे उप. नहीं। अभि. रेस्पो. का ऐतराज है कि प्रकरण 1996 पुराना है एवं अपीलांट जानबूझकर बहस नहीं करना चाहते हैं अतः रेस्पो. की बहस उभय प्रकरण का निस्तारण कराने का निवेदन करते हैं।

न्यायालय ने अपीलांट व अभिभाषक अपीलांट को कई बार आवाज दिलाई गई चाहे। अतः अपील अपीलांट व अभि. अपीलांट की गैर मौजूदगी के अदम हाजरी व अदम पैरवी के खारिज की जाती है। पत्रावली वापस पीठासीन अधिकारी दफ्तर हो।